अनुबंध II

सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए विनियामकीय उपाय[1] अप्रैल 2021 से मार्च 2024

वर्ष	दिनांक	विषय
		वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
2021-22	1 अप्रैल 2021	कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट पर दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे प्रतिभागियों को मौजूदा विवेकपूर्ण विनियामक मानदंडों के भीतर कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट में अपनी उधार सीमा निर्धारित करने की सुविधा मिली।
	4 जून 2021	• अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों को, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में उनके क्रेडिट जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के भीतर लेनदेन के निपटान के लिए, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ मार्जिन रखने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को ऋण देने की अनुमति दी गई थी। • जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को सीडी जारी करने और बैंकों को सीडी वापस खरीदने की अनुमति मिल गई।
	7 जून 2021	एफपीआई/संरक्षक बैंकों को अपने जी-सेक लेनदेन को नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने के लिए एक विस्तारित समय अवधि प्रदान की गई थी।
	16 सितंबर 2021	काउंटर पर (ओटीसी) डेरिवेटिव उत्पादों में बाजार निर्माताओं के लिए दिशानिर्देशों को सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और डेरिवेटिव व्यवसाय में ग्राहक उपयुक्तता और उपयुक्तता के आकलन के मजबूत मानकों को स्थापित करने के लिए संशोधित किया गया था।
	10 फरवरी 2022	संशोधित क्रेडिट डेरिवेटिव दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे बाजार सहभागियों को ओटीसी सेगमेंट और स्टॉक एक्सचेंजों में एकल नाम ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) अनुबंधों का उपयोग करने की अनुमति मिल गई। खुदरा उपयोगकर्ताओं को केवल हेजिंग के लिए संरक्षण खरीदने की अनुमति दी गई है। गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं, अर्थात, विनियमित वित्तीय संस्थाओं और एफपीआई को (i) हेजिंग के लिए और हेजिंग के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए संरक्षण खरीदने; और (ii) संरक्षण बेचने की अनुमति दी गई है।
2022-23	1 जून 2022	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण मार्जिन) दिशानिर्देश, 2022 जारी किए गए थे, जिसमें कवर की गई संस्थाओं को अकेंद्रीय समाशोधित डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट) लेनदेन के लिए वेरिएशन मार्जिन का विनिमय अनिवार्य किया गया था।
	16 जून 2022	अकेंद्रीय समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडी) के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने वाले मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
	17 फरवरी 2023	सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने की अनुमति देने के लिए मसौदा निर्देश जारी किए गए।
2023-24	28 दिसंबर 2023	सरकारी प्रतिभूतियों पर बॉण्ड फॉरवर्ड शुरू करने के लिए मसौदा निर्देश जारी किए गए।
	3 जनवरी 2024	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और इन बाजारों में जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य प्रतिभागियों के संदर्भ में उत्पादों में स्थिरता लाने के लिए संशोधित निर्देश जारी किए गए।

[1] नई/प्रमुख विनियामकीय नीतियों के साथ-साथ मसौदा परिपत्रों, रिपोर्टों, चर्चा पत्रों और हितधारकों के परामर्श के आधार पर वृद्धिशील परिवर्तन और मौजूदा दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा भी शामिल है। इस अनुलग्नक में शामिल कुछ मसौदा परिपत्रों/मसौदा दिशानिर्देशों/चर्चा पत्रों के लिए जनता से परामर्श अभी भी जारी है।

वर्ष	दिनांक	विषय
2023-24	5 जनवरी 2024	अनुमत एफएक्स डेरिवेटिव उत्पादों के सुइट का विस्तार करते हुए और उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क को परिष्कृत करते हुए, ताकि आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के एक बड़े समूह को अपने जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाया जा सके, सभी प्रकार के लेनदेन - ओटीसी और एक्सचेंज कारोबार - के संबंध में पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को समेकित करते हुए विदेशी मुद्रा (एफएक्स) जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और एक ही मास्टर निदेश के तहत, संशोधित निर्देश जारी किये गये।
विदेशी मुद्रा विभाग		
2022-23	22 अगस्त 2022	फेमा, 1999 के तहत विदेशी निवेश फ्रेमवर्क को युक्तिसंगत बनाया गया। सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया/टिप्पणियों के आधार पर, तर्कसंगत 'विदेशी निवेश विनियम' जारी किए गए।
2023-24	26 दिसंबर 2023	फेमा, 1999 के तहत अधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का प्रारूप जारी किया गया।
विनियमन विभाग		
2021-22	10 मई 2021	अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन [केवाईसी (री-केवाईसी) में आवधिक अद्यतनीकरण और वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) से संबंधित परिवर्तनों के संबंध में]
	23 अगस्त 2021	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: एन.एस. विश्वनाथन) की रिपोर्ट जारी की गई और दिशानिर्देश जारी किए गए।
	29 अक्तूबर 2021	'बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता' पर परिपत्र।
	11 नवंबर 2021	लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) परिवर्तन - विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज दर
	14 मार्च 2022	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क) निदेश, 2022।
2022-23	27 जुलाई 2022	जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर चर्चा पत्र।
	2 सितंबर 2022	डिजिटल ऋण देने पर दिशानिर्देश।
	11 अक्तूबर 2022	एआरसी के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क की समीक्षा।
	16 जनवरी 2023	बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र।
	25 जनवरी 2023	दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र।
	17 फरवरी 2023	बेसल III के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश।
2023-24	28 अप्रैल 2023	धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियम, 2005 (समय-समय पर संशोधित) और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुरूप केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन।
	4 मई 2023	केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन - वायर ट्रांसफर पर निर्देश।
	08 जून 2023	डिजिटल ऋण में चूक हानि गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश।
	26 जून 2023	परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश।

वर्ष	दिनांक	विषय
2023-24	18 अगस्त 2023	• समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर को पुनः निर्धारित किया गया। • उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार।
	12 सितंबर 2023	वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर मास्टर निदेश।
	13 सितंबर 2023	'उत्तरदायी ऋण आचरण - व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना' पर परिपत्र।
	21 सितंबर 2023	• इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार पर मसौदा मास्टर निदेश। • मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल III पूंजीगत फ्रेमवर्क, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों तथा संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निदेश, 2023।
	17 अक्तूबर 2023	पीएमएल नियम, 2005 (समय-समय पर संशोधित) और एफएटीएफ सिफारिशों के अनुरूप केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन।
	26 अक्तूबर 2023	• वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मसौदा मास्टर निदेश। • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमा पर अनुदेशों की समीक्षा।
	1 जनवरी 2024	बैंकों में निष्क्रिय खातों/अदावाकृत जमाराशियों पर परिपत्र - संशोधित अनुदेश।
	2 जनवरी 2024	बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा तथा भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा लाभ को मुख्यालय में प्रेषित करने के संबंध में मसौदा परिपत्र।
	15 जनवरी 2024	• सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए ऋण/निवेश संकेन्द्रण मानदंडों पर मसौदा परिपत्र। • आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और एचएफसी तथा एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सामंजस्य पर मसौदा परिपत्र।
	9 फरवरी 2024	इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) में भारतीय बैंकों की भागीदारी पर परिपत्र।
	28 फरवरी 2024	जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण रूपरेखा, 2024 का मसौदा।
	7 मार्च 2024	मास्टर निदेश में संशोधन - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचरण निदेश, 2022 - संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के साथ अद्यतन दिशानिर्देश उपर्युक्त मास्टर निदेश के अनुलग्नक के रूप में जारी किए गए और इसे रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
	21 मार्च 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक के आरई के लिए एसआरओ की मान्यता के लिए बहुप्रयोजनीय (Omnibus) फ्रेमवर्क।
फिनटेक विभाग		
2023-24	15 जनवरी 2024	फिनटेक क्षेत्र के लिए एसआरओ को मान्यता देने हेतु मसौदा रूपरेखा जारी की गई।

वर्ष	दिनांक	विषय
		पर्यवेक्षण विभाग
2022-23	6 मार्च 2023	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एसबीए की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देश/ पीएसबी की वैधानिक शाखा लेखापरीक्षा के तहत व्यवसाय कवरेज पर मानदंड जारी किए गए।
2023-24	10 अप्रैल 2023	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश जारी किया गया।
	13 अक्तूबर 2023	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) वसूली शाखाओं और शून्य अग्रिम वाली शाखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उनके एसबीए को देय पारिश्रमिक तय करने के लिए सामान्य अनुमोदन प्रदान किया गया।
	7 नवंबर 2023	सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश जारी किया गया।
	15 जनवरी 2024	राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
		भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
2021-22	10 जून 2021	स्वचालित टेलर मशीनों/नकदी पुनर्चक्रण मशीनों के उपयोग के लिए विनिमय शुल्क और ग्राहक प्रभार की समीक्षा की गई।
	14 जून 2021	*भारत* बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में 'मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज' को बिलर श्रेणी के रूप में अनुमति दी गई।
	7 सितंबर 2021	कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति दी गई।
	23 दिसंबर 2021	वास्तविक कार्ड डेटा *(अर्थात्* कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] के भंडारण पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की गई।
	3 जनवरी, 2022	ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए रूपरेखा जारी की गई।
2022-23	19 मई, 2022	एटीएम पर अंतर-संचालनीय कार्ड-रहित नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू) सक्षम की गई।
	26 मई, 2022	*भारत* बिल भुगतान प्रणाली पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।
	16 जून, 2022	ई-मैंडेट ढांचे के कार्यान्वयन और ग्राहकों को उपलब्ध सुरक्षा के अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (एएफए) की समीक्षा के आधार पर, सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति लेनदेन कर दिया गया।
	28 जुलाई, 2022	भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की समयसीमा की समीक्षा की गई।
	17 अगस्त, 2022	भुगतान प्रणालियों में शुल्क पर चर्चा पत्र जारी किया गया।
2023-24	2 जून, 2023	भुगतान प्रणाली प्रचालकों के लिए साइबर समुत्थानशीलता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया गया।
	7 जून, 2023	व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया।
	5 जुलाई, 2023	डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर मसौदा परिपत्र जारी किया गया।
	24 अगस्त, 2023	ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा बढ़ा दी गई।
	31 अक्तूबर, 2023	'भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - सीमापार' पर परिपत्र जारी किया गया।

वर्ष	दिनांक	विषय
2023-24	12 दिसंबर, 2023	इसके अंतर्गत प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के बिना किए जाने वाले अनुवर्ती आवर्ती लेनदेन की सीमाएं वाली ई -अधिदेश रूपरेखा को निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए बढ़ाया गया।
	20 दिसंबर, 2023	सीओएफटी (CoFT) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन सक्षम किया गया।
	29 दिसंबर, 2023	भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना को दो वर्ष की अवधि *अर्थात* 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया ।
	23 फरवरी, 2024	पूर्वदत्त भुगतान लिखतों पर मास्टर निर्देश में संशोधन किया गया।
	29 फरवरी, 2024	*भारत* बिल भुगतान प्रणाली पर मास्टर निर्देश जारी किया गया।